न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–123 / 2026

(झाझा थाना कांड संख्या 357 / 20 से उत्पन्न)

(जी0आर0 संख्या–3034ए / 20)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

आदेश

09.04.2026 1– प्रस्तुत जमानत आवेदन **सुरेश लाल बर्णवाल** उम्र लगभग 58 वर्ष, पिता स्व0 कृष्णलाल बर्णवाल, साकिन ठाडीह, थाना चन्द्रमण्डी, जिला जमुई, द्वारा झाझा थाना कांड संख्या 357 / 20 (जी0आर0 संख्या–3034ए / 20) में धारा 3 / 4 एक्सप्लॉसिव सब्सटान्सिस एक्ट तथा धारा 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, यू0ए0पी0 एक्ट के अन्तर्गत नियमित जमानत हेतु दाखिल किया गया है। उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोरंजन कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्ति लाल शर्मा को सुना गया। आवेदक अभियुक्त दिनांक 30.12.2025 से काराधीन है।

2– अभियोजन का केस संक्षेप में यह है कि दिनांक 12.10.2020 को सुबह करीब 6 बजे सूचक थाना पर था तो गुप्त एवं विश्वसनीय सूचना मिली कि पिंटू राणा उर्फ पिंटू दा सा0 आनंदपुर, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई अपने 14 से 15 नक्सली साथियों के साथ मानिकथान झाझा थाना के जंगली इलाका में किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने हेतु बड़ी मात्रा में हरवे हथियार से साथ विस्फोटक पदार्थ एकत्रित किये हुये हैं एवं जंगल में एकत्र हुये हैं इस सूचना से पुलिस अधीक्षक महोदय, जमुई को सूचित किया एवं सनहा दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक महोदय जमुई के निर्देशानुसार ए0एस0पी0 अभियान जमुई के नेतृत्व में सीआरपीएफ 215 बटालियन, एसटीएफ झाझा चीता–29 नक्सल सेल जमुई क्यू0आर0टी0 जमुई जिला बल तथा झाझा थाना के टाइगर मोबाई के सिपाही 50 सि0 शिवशंकर कुमार सि0 607 मुकेश कुमार, सि0 460 रिंकू कुमार एवं सि0 206 संतोष कुमार के साथ समय करीब 7:30 बजे झाझा थाना से सरकारी वाहन से प्रस्थान किया। समय करीब 8:00 बजे सुबह में मानिकथान के पास पहुंचा एवं सभी बलों को मानिकथान के दक्षिण जंगल में करीब 500 मीटर दूरी पर नया खोदा हुआ हल्का मिट्टी दिखाई पड़ा तो संदेह के आधार पर मिट्टी को सावधानीपूर्वक हटाने पर जमीन में गड़ा हुआ 3 प्लास्टिक का डब्बा दिखाई दिया जिसमें करीब 40 किलो अमोनियम नाईट्रेट विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ जिसे जब्त करने हेतु दो स्वतन्त्र साक्षी को ढूंढा गया किन्तु कोई साक्षी बनने को तैयार नही हुआ। तो साथ के ही टाइगर मोबाईल के सिपाही 50 शिवशंकर कुमार तथा सिपाही 607 मुकेश कुमार दोनों थाना झाझा को ही साक्षी मानते हुये तीनों प्लास्टिक के डालडा वाला डब्बा में मिलाकर 40 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया जिस पर दोनों साक्षी ने स्वेच्छापूर्वक अपना अपना हस्ताक्षर बना दिये। जंगल के बहुत बड़े हिस्से को सर्च किया गया किन्तु कोई नक्सली नहीं मिले तत्पश्चात् आसपास खुले एवं गुप्त रूप से पता चला कि पिंटू राणा उर्फ पिंटू दा पे0 ईश्वर राणा सा0 आनंदपुर थाना लक्ष्मीपुर जिला जमुई, करूणा दी उर्फ जोशिला, मतूल तूरी,अरबिन्द यादव उर्फ अविनाश उर्फ अशोक यादव, प्रकाश राणा उर्फ प्रकाश दा, प्रकाश राणा उर्फ प्रकाश दा, बादल उर्फ अख्तर अंसारी, सावा उर्फ रोजिना खातून, बहादुर कोरा, सुरेश कोरा, बबलू साव, बबलू संथाल, बैई

लगातार.....

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–123 / 2026

(झाझा थाना कांड संख्या 357 / 20 से उत्पन्न)

(जी0आर0 संख्या–3034ए / 20)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

09.04.2026
लगातार

राय, सूलो दा, नरेश यादव, सुरेश लाल वर्णवाल साकिन ठाडीह, थाना चन्द्रमण्डी, जिला जमुई व अन्य पुलिस को जानमाल की क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से विस्फोटक सामग्री एकत्र कर बड़ी विस्फोटक घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे, जो पुलिस की आहट पाकर जंगल का सहारा लेकर भागने में सफल रहे।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है कि आवेदक अभियुक्त दिनांक 30.12.2025 से कारा में संसीमित है। आवेदक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1462 / 20 इसी न्यायालय में दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 18.03.2021 के आदेश से खारिज कर दिया गया। इस अग्रिम जमानत आवेदन तथा वर्तमान जमानत आवेदन को छोड़कर अन्य कोई जमानत आवेदन आवेदक द्वारा न तो इस सत्र न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। यह कि आवेदक दो अन्य वाद चन्द्रमण्डी थाना कांड संख्या 59 / 2018 तथा चन्द्रमण्डी थाना कांड संख्या 60 / 2018 में भी अभियुक्त है। यह कि आवेदक को 35(3), तथा 35(6) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। आवेदक का नाम एफ0आई0आर0 में सामने आया है जो बिल्कुल निर्दोष है उसने कथित रूप से कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक को बिना किसी कानूनी और ठोस सबूत के इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी में अंकित धाराओं का कोई आवेदन नहीं है क्यों कि आवेदक के भौतिक कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। यह कि यू0ए0पी0 अधिनियम की भी धाराएं डाली गई है परन्तु इस बात कोई प्रमाण नहीं है कि आवेदक आतंकवादी है या किसी भी तरह से आतंकवादी संगठन या गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। यह कि आवेदक एक स्थानीय चिकित्सक व्यवसायी है और इसके समर्थन में स्थानीय मुखिया, सरपंच समिति के सदस्य और अन्य सह ग्रामीणों ने आरक्षी अधीक्षक के समक्ष आवेदक की बेगुनाही की पुष्टि करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक के न्यायालय से भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा आवेदक न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है।

4– अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी धारा धारा 3 / 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा धारा 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, यू0ए0पी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख जमानत आवेदन के साथ संलग्न है। इस वाद में आवेदक को दिनांक 30.12.2025 को गिरफ्तार कर रिमांड हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पूरक वाद दैनिकी संख्या 02 दिनांक 30.12.2025 के कंडिका 04, 05, 06, 07, 08,09, 10,11 में आवेदक को गिरफ्तार कर रिमांड हेतु प्रस्तुत करने तथा जमुई कारा में आवेदक को पहुंचाने तक का विवरण अंकित है

लगातार.....

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–123 / 2026

(झाझा थाना कांड संख्या 357 / 20 से उत्पन्न)

(जी0आर0 संख्या–3034ए / 20)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

09.04.2026 परन्तु वाद दैनिकी में अथवा आवेदक अभियुक्त के रिमांड आदेश दिनांक 30.12.2025 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक को गिरफ्तारी का आधार (Ground of Arrest) न्यायालय में प्रस्तुत करने से दो घंटा पहले या उसके पहले या बाद लिखित में सूचित नहीं किया गया है। इसका कोई उल्लेख वाद दैनिकी तथा रिमांड आदेश में नहीं है। जबकि मिहिर राजेश शाह अपीलकर्ता बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य दिनांक 06.11.2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अवधारित किया गया है कि i) The constitutional mandate of informing the arrestee the grounds of arrest is mandatory in all offences under all statutes including offences under IPC 1860(now BNS 2023); (ii) The grounds of arrest must be communicated in writing to the arrestee in the language he/she understands; (iii) In case(s) where, the arresting officer/person is unable to communicate the grounds of arrest in writing on or soon after arrest, it be so done orally. The said grounds be communicated in writing within a reasonable time and in any case at least two hours prior to production of the arrestee for remand proceedings before the magistrate. (iv) In case non-compliance of the above, the arrest and subsequent remand wound be rendered illegal and the person will be at liberty to be set free. तथा इस वाद में प्राथमिकी धारा 3 / 4 एक्सप्लॉसिव सब्सटान्सिस एक्ट तथा धारा 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, यू0ए0पी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है परन्तु प्राधिकृत प्राधिकारी का स्वीकृत्यादेश (Sention Order) अभिलेख के साथ या वाद दैनिकी में अंकित नहीं है। इस वाद में आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 140 / 26 दिनांक 28.02.2026 को धारा 3 / 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यू0ए0पी0 एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय में समर्पित किया जा चुका है इस वाद में आवेदक का नाम संन्देह के आधार पर आया है आवेदक के पास से अथवा उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कब्जे से कोई वस्तु बरामद नहीं हुआ है तथा इस आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है परन्तु कोई भी स्वीकृत्यादेश सक्षम प्राधिकारी का अभिलेख पर नहीं है। आवेदक दिनांक 30.12.2025 से कारा में संसीमित है।

इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में उपरोक्त विवेचन तथा आवेदक द्वारा कारा में बितायी गई अवधि के आधार पर आवेदक को नियमित जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त द्वारा 10,000 / – रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर आवेदक को निम्न शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लगातार.....

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या–123 / 2026

(झाझा थाना कांड संख्या 357 / 20 से उत्पन्न)

(जी0आर0 संख्या–3034ए / 20)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

09.04.2026 **शर्तें**

1. आवेदक वाद के विचारण में न्यायालय को पूर्ण सहयोग करेगा।
2. आवेदक विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा लगातार तीन तिथियों पर युक्तियुक्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने पर आवेदक का बंधपत्र खंडित कर दिया जायेगा।
3. जमानतदारों के नाम से स्थायी संपत्ति तथा उक्त संपत्ति का कागजात होना चाहिए।
4. अभियुक्त न्यायालय के अनुमति के बिना बिहार राज्य से बाहर नहीं जायेगा।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

मेमो नं.–..... दिनांक–.....

प्रति अग्रसारितः–विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई